

पटना उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार

आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 288/2023

थाना कांड संख्या-1 वर्ष-2004 थाना- विजिलेंस, जिला- पटना बिहार

=====

मधु शर्मा, पति-श्री अजय नारायण शर्मा, निवासी श्याम भवन, चौधरी टोला, महेन्द्र,
थाना-सुल्तानगंज, जिला-पटना-800006

... ..याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, महानिदेशक, कैबिनेट सतर्कता के माध्यम से जांच ब्यूरो 6 सर्कुलर रोड, बिहार, पटना, बिहार
2. पुलिस अधीक्षक-सह-स्टेशन हाउस अधिकारी, कैबिनेट सतर्कता जांच ब्यूरो 6 सर्कुलर रोड, बिहार, पटना, बिहार
3. सतर्कता पुलिस थाना मामला संख्या 01/2004 (विशेष) के जांच अधिकारी
मामला संख्या 01/2004) सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो, 6 सर्कुलर रोड, पटना, बिहार

... ..प्रतिवादी/ओं

=====

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से	:	श्री जगन्नाथ सिंह, अधिवक्ता
		श्री राकेश कुमार, अधिवक्ता
		श्री दीपक कुमार, अधिवक्ता
		श्री मोहम्मद गुलाम मुस्तफा, अधिवक्ता
		श्री भार्गव पांडे, अधिवक्ता

राज्य की ओर से	:	श्री सुमन कुमार झा, एसी टू एएजी 3
सतर्कता के लिए	:	श्रीमती. अर्चना पालकर खोपड़े, अधिवक्ता

=====

अधिनियम/धारा/नियम:

- सीआरपीसी - धारा 173

संदर्भित मामले:

- अजीजा बेगम बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2012) 3 एससीसी 126 में रिपोर्ट किया गया।
- हसनभाई वलीभाई कुरेशी बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य। (2004) 5 एससीसी 347 में रिपोर्ट किया गया ।

- किशन लाल बनाम धर्मद्र बाफना एवं अन्य, (2009) 7 एससीसी 685 में रिपोर्ट किया गया ।
- सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निदेशक, सीबीआई एवं अन्य, रिपोर्ट (2014) 8 एससीसी 682 ।

याचिकाकर्ता व्याख्याताओं की भर्ती प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार से व्यथित है।

माना गया - वर्तमान मामले में, व्याख्याता पद के लिए एक आवेदक ने धारा 173(8) के तहत आवेदन दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि जांच खराब या अन्यथा अनुचित पाई गई। आवेदक, मुखबिर न होने के कारण, संज्ञान लेने का अधिकार प्राप्त विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष इस मुद्दे को नहीं उठा सकता है। (पैरा 27)

याचिकाकर्ता आरोप पत्र को चुनौती देने और आरोप पत्र दाखिल करने के साथ समाप्त हुए मामले की आगे की जांच की मांग करने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं है। (पैरा 29)

याचिकाकर्ता को आईओ के समक्ष संबंधित दस्तावेज जमा करने की अनुमति दी गई है, जो इस बात पर विचार करेगा कि क्या उक्त दस्तावेज नए साक्ष्य का खुलासा करते हैं या नहीं और यदि उक्त दस्तावेज नए साक्ष्य के बराबर हैं, तो आईओ मामले की आगे की जांच करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि आरोप-पत्र में कहा गया है। , जांच अधिकारी ने नए साक्ष्य प्राप्त होने पर पूरक आरोप पत्र दायर करने की स्वतंत्रता पहले ही ले ली है। (पैरा 34)

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

समक्ष: माननीय न्यायमूर्ति श्री बिबेक चौधरी

मौखिक निर्णय

दिनांक : 19-04-2024

1. याचिकाकर्ता मधु शर्मा हैं, जिन्होंने वर्ष 1997 में भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा घोषित 29 व्याख्याताओं की रिक्ति के अनुसरण में आयोजित व्याख्याताओं की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में चयनित होने का दावा किया था।

2. याचिकाकर्ता की शिकायत है कि वह चयन प्रक्रिया में शामिल हुई, लिखित परीक्षा पास की और उसके बाद साक्षात्कार में शामिल हुई लेकिन उसे

भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा घोषित रिक्ति के विरुद्ध व्याख्याता के रूप में नियुक्त नहीं किया गया।

3. याचिकाकर्ता की आगे की शिकायत यह है कि चयन समिति यानी विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने उक्त 29 रिक्तियों के लिए 1100 सफल उम्मीदवारों की सूची तैयार की और उक्त सफल उम्मीदवारों को बिना किसी नई चयन अधिसूचना के अन्य विश्वविद्यालयों के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में रिक्तियों के संबंध में समय-समय पर समायोजित कर लिया गया। नियुक्ति की ऐसी प्रक्रिया में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ, जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, नौकरशाह, राजनीतिक हस्तियाँ और तत्कालीन कुलाधिपति भी शामिल थे। यह भी रिकॉर्ड में है कि कुलाधिपति की सिफारिश पर सतर्कता जांच ब्यूरो (जिसे आगे 'वीआईबी' कहा जाएगा) ने सतर्कता थाना केस नंबर 1/2004 पंजीकृत किया और विद्वान विशेष न्यायाधीश, सतर्कता की अदालत में कुछ व्यक्तियों के खिलाफ आरोप-पत्र प्रस्तुत किया।

4. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि वीआईबी द्वारा की गई जांच लापरवाहीपूर्ण थी। जांच एजेंसी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों की संलिप्तता की जांच करने में विफल रही, जो इस मामले में गहराई से शामिल हैं और उनके शब्दों/संबंधों/आश्रितता के विरुद्ध भी। वर्ष 1996 में विज्ञापन संख्या 2/1994 के अनुसार व्याख्याताओं की नियुक्ति और बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 2/1997 के माध्यम से की गई नियुक्तियाँ अवैध थीं और व्याख्याताओं को नियुक्तियाँ देते समय योग्यता पर विचार नहीं किया गया था।

5. याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया है कि राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने भागलपुर विश्वविद्यालय के अलावा अन्य विश्वविद्यालयों के संबंध में बाद की रिक्तियों के लिए नियुक्ति का कोई नोटिस जारी नहीं किया, बल्कि उक्त आयोग द्वारा तैयार किए गए पैनल से नियुक्ति की गई, जिसमें 1100 उम्मीदवार शामिल थे।

6. आरोप-पत्र दाखिल करने के बाद याचिकाकर्ता और एक अन्य व्यक्ति, मिथलेश कुमार ने सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत विद्वान विशेष न्यायाधीश, विजिलेंस, पटना के समक्ष एक आवेदन दायर किया। हालांकि, उक्त आवेदन को, 6 जुलाई, 2022 के आदेश के तहत, विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया था कि याचिकाकर्ता के पास आगे की जांच के लिए ऐसा आवेदन दायर करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि वह विजिलेंस थाना केस नंबर 1/2004 के संबंध में मुखबिर नहीं थी।

7. इस रिट याचिका को दायर करके याचिकाकर्ता ने उस आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की है, जो 6 जुलाई, 2022 को, पटना में सतर्कता न्यायालय के

विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया था, तथा याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों के आलोक में आगे की जांच करने के लिए वीआईबी को निर्देश जारी करने की प्रार्थना की है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने याचिका के समर्थन में विस्तृत दलीलें दी हैं। उन्होंने कुछ निर्णयों का भी हवाला दिया है, जिन पर मैं बाद में चर्चा करना चाहता हूँ।

9. दूसरी ओर, राज्य और सतर्कता ब्यूरो के विद्वान अधिवक्ता 6 जुलाई, 2022 के विवादित आदेश का समर्थन करते हैं और आगे बताते हैं कि सतर्कता थाना केस संख्या 1/2004 तत्कालीन राज्यपाल द्वारा बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होने के नाते दिए गए निर्देश के आधार पर शुरू किया गया था। ऐसे निर्देश के आधार पर, स्वतः संज्ञान लेते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की गई और वीआईबी द्वारा जांच की गई। जांच पूरी होने पर, विद्वान विशेष न्यायाधीश की अदालत के समक्ष आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया और आरोप-पत्र स्वीकार किए जाने के समय, याचिकाकर्ता और एक अन्य व्यक्ति ने सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत एक आवेदन दायर किया।

10. वीआईबी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता, मुखबिर न होने के कारण, सीआरपीसी की धारा 173(8) के अंतर्गत आवेदन नहीं रख सकता है।

11. इस मामले में सी.आर.पी.सी. की धारा 173 पूर्णतः प्रासंगिक है तथा इसे नीचे उद्धृत किया गया है।

"173. जांच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट.--

(1) इस अध्याय के अंतर्गत प्रत्येक जांच बिना अनावश्यक विलंब के पूरी की जाएगी।

[(1ए) धारा 376, 376 ए, 376 एबी, 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 डीए, 376 डीबी या 376 ई के अधीन अपराध के संबंध में जांच उस तारीख से शुरू होगी, जिस तारीख को पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा सूचना दर्ज की गई थी।]

(2) (i) जैसे ही यह पूरी हो जाती है, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्ररूप में एक रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी -

(क) पक्षों के नाम;

(ख) सूचना की प्रकृति;

(ग) उन व्यक्तियों के नाम जो मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होते हैं;

(घ) क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है और यदि हां, तो किसके द्वारा;

(ङ) क्या अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है;

(च) क्या उसे मुचलके पर रिहा किया गया है और यदि हां, तो क्या जमानत सहित या बिना जमानत के;

(छ) क्या उसे धारा 170 के अधीन हिरासत में भेजा गया है।

[(ज) क्या महिला की चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट संलग्न की गई है, जहां जांच भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धाराओं 376, 376 ए, 376 एबी, 376 बी, 376 सी, 376 डी या धारा 376 ई के अधीन अपराध से संबंधित है।]

(ii) अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से, अपने द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना उस व्यक्ति को भी देगा, यदि कोई हो, जिसने अपराध के किए जाने से संबंधित सूचना सबसे पहले दी थी।

(3) जहां धारा 158 के अधीन पुलिस का कोई वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया गया है, वहां रिपोर्ट, किसी मामले में जिसमें राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसा निर्देश दे, उस अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी और वह मजिस्ट्रेट के आदेश लंबित रहने तक पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को आगे जांच करने का निर्देश दे सकेगा।

(4) जब कभी इस धारा के अधीन भेजी गई रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को उसके बांड पर रिहा कर दिया गया है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे बांड के उन्मोचन के लिए या अन्यथा ऐसा आदेश देगा जैसा वह उचित समझे।

(5) जब ऐसी रिपोर्ट किसी ऐसे मामले के संबंध में हो, जिस पर धारा 170 लागू होती है, तो पुलिस अधिकारी रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को निम्नलिखित भेजेगा-

(क) सभी दस्तावेज या उनके प्रासंगिक उद्धरण जिन पर अभियोजन पक्ष भरोसा करने का प्रस्ताव करता है, जो जांच के दौरान मजिस्ट्रेट को पहले से भेजे गए दस्तावेजों से भिन्न हैं;

(ख) उन सभी व्यक्तियों के धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथन, जिनकी अभियोजन पक्ष अपने गवाहों के रूप में जांच करना चाहता है।

(6) यदि पुलिस अधिकारी की यह राय है कि ऐसे कथन का कोई भाग कार्यवाही की विषय-वस्तु से सुसंगत नहीं है या अभियुक्त के समक्ष उसका प्रकट करना न्याय के हित में आवश्यक नहीं है तथा लोकहित में अनुचित है, तो वह कथन के उस भाग को उपदर्शित करेगा तथा मजिस्ट्रेट से अनुरोध करते हुए एक टिप्पणी संलग्न करेगा कि वह अभियुक्त को दी जाने वाली प्रतियों में से उस भाग को निकाल दे तथा ऐसा अनुरोध करने के अपने कारण भी बताएगा।

(7) जहां मामले का अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी ऐसा करना सुविधाजनक पाता है, वहां वह उपधारा (5) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं दस्तावेजों की प्रतियां अभियुक्त को दे सकेगा।

(8) इस धारा की कोई बात उप-धारा (1) के तहत रिपोर्ट के बाद किसी अपराध के संबंध में आगे की जांच को रोकने वाली नहीं समझी जाएगी। धारा (2) के अधीन भेजी गई रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को अग्रेषित कर दी गई है और जहां ऐसे अन्वेषण के पश्चात पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी मौखिक या दस्तावेजी अतिरिक्त साक्ष्य प्राप्त करता है, वहां वह ऐसे साक्ष्य के संबंध में मजिस्ट्रेट को विहित प्ररूप में अतिरिक्त रिपोर्ट या रिपोर्टें अग्रेषित करेगा; और उपधारा (2) से (6) के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसी रिपोर्ट या रिपोर्टों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे उपधारा (2) के अधीन भेजी गई रिपोर्ट के संबंध में लागू होते हैं।"

12. उपर्युक्त प्रावधान के अवलोकन से यह पता चलता है कि जांच पूरी होने पर पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक रिपोर्ट भेजेगा। हालांकि, सीआरपीसी में धारा 173(2) के तहत रिपोर्ट को अंतिम रूप में रिपोर्ट नहीं कहा जाता है, लेकिन धारा 173(2) के तहत रिपोर्ट को अंतिम रूप में रिपोर्ट के रूप में वर्णित किया गया है। अंतिम रूप में रिपोर्ट दो प्रकार की हो सकती है - रिपोर्ट में कहा जा सकता

है कि जांच के समापन पर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप स्थापित होता है; या दूसरे, रिपोर्ट में कहा जा सकता है कि आरोपी के खिलाफ कोई सबूत एकत्र नहीं किया जा सका और कथित आरोप स्थापित नहीं हुआ है।

13. धारा 173 (2) (ii) यह भी अनिवार्य करती है कि अधिकारी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से अपने द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी उस व्यक्ति को देगा, यदि कोई हो, जिसने अपराध के होने से संबंधित सूचना सबसे पहले दी थी। दूसरे शब्दों में, जांच का परिणाम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के समय सूचना देने वाले को सूचित किया जाना चाहिए।

14. इस प्रकार, जब भी अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जाती है, तो सूचना देने वाले को सूचित किया जाता है। अंतिम रिपोर्ट के मामले में, जिसमें कहा गया है कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप स्थापित नहीं हुआ है, सूचना देने वाले को, सूचना प्राप्त होने पर, अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करने के खिलाफ अपनी आपत्ति बताते हुए और आगे की जांच के लिए प्रार्थना करते हुए एक आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता है और ऐसे आवेदन पर, मजिस्ट्रेट या विशेष न्यायाधीश, जो संज्ञान लेने के लिए सशक्त हैं, मामले की आगे की जांच का निर्देश दे सकते हैं।

15. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि धारा 173 की उप-धारा (8) के तहत आगे की जांच के लिए, आरोप-पत्र पर संज्ञान लेने के लिए सशक्त विद्वान विशेष न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट का कोई औपचारिक आदेश आवश्यक नहीं है और पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को आगे के साक्ष्य, मौखिक या दस्तावेजी प्राप्त होने पर, निर्धारित प्रपत्र में ऐसे साक्ष्य के बारे में एक और रिपोर्ट या रिपोर्टों के साथ मजिस्ट्रेट को ऐसे आगे के साक्ष्य को अग्रेषित करने की स्वतंत्रता है।

16. यह तर्क दिया गया है कि ऐसी अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने के मामले में, उप-धारा (2) से (6) के प्रावधान यथासंभव लागू होंगे।

17. इस प्रकार, संहिता की योजना धारा 173 उपधारा (2) के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद सूचनादाता को नोटिस की सेवा निर्धारित करती है। सूचनादाता अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ आपत्ति उठाने के लिए स्वतंत्र है।

18. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि मुखबिर के अलावा, आपराधिक मामले के परिणाम में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को, सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत एक आवेदन करने की अनुमति है, ताकि न्यायालय के संज्ञान में लाया जा सके, जो यह संज्ञान लेने के लिए सशक्त है कि जांच ठीक से नहीं की गई थी और अगर जांच ठीक से की गई होती, तो जांच के दौरान कई अन्य आरोपी व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता था।

19. अपने तर्क के समर्थन में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने सबसे पहले *अजीजा बेगम बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (2012) 3 एससीसी 126* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया। उन्होंने रिपोर्ट के पैराग्राफ 12 और 13 पर भरोसा किया।

20. अनुच्छेद 12 और 13 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी शिकायत की उचित जांच करवाने का अधिकार है। हमारे कानूनों के तहत जांच के लिए जो कानूनी ढांचा उपलब्ध कराया गया है, उसे चुनिंदा रूप से केवल कुछ लोगों को उपलब्ध कराया जा सकता है और दूसरों को इससे वंचित नहीं किया जा सकता। यह कानूनों के समान संरक्षण का सवाल है और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटी के अंतर्गत आता है। यह मुद्दा न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने जैसा है। निष्पक्ष और उचित जांच हमेशा न्याय के उद्देश्यों और कानून के शासन की स्थापना और कानून और व्यवस्था में उचित संतुलन बनाए रखने के लिए अनुकूल होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनका न्यायालयों द्वारा ध्यान रखा जाना चाहिए।

21. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का ध्यान इस ओर नहीं गया कि वर्तमान रिपोर्ट में अपीलकर्ता कोई और नहीं बल्कि सूचनादाता था।

22. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता सूचनादाता नहीं है। इसलिए, उपरोक्त निर्णय इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होता है।

23. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने *हसनभाई वलीभाई कुरैशी बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य* के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है, जो *(2004) 5 एससीसी 347* में रिपोर्ट किया गया है।

24. इस रिपोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि केवल यह तथ्य कि आगे की जांच से मुकदमे में देरी हो सकती है, प्रासंगिक विचार नहीं है। पुलिस उचित तरीके से आगे की जांच कर सकती है, भले ही न्यायालय ने संज्ञान ले लिया हो। इस प्रकार, जब नए तथ्य (मामले की पिछली जांच में चूक) सामने आए, तो पुलिस को न्यायालय को सूचित करना चाहिए और आगे की जांच करने की अनुमति मांगनी चाहिए।

25. इस प्रकार, इस रिपोर्ट में यह माना गया है कि पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा सकती है और मुकदमे में देरी का मुद्दा आगे की जांच के रास्ते में बाधा नहीं बन सकता। इस निर्णय में यह भी नहीं कहा गया है कि मुखबिर के अलावा कोई अन्य व्यक्ति आगे की जांच के लिए प्रार्थना कर सकता है।

26. *किशन लाल बनाम धर्मेंद्र बाफना एवं अन्य, (2009) 7 एससीसी 685* में रिपोर्ट किया गया, अपीलकर्ता मुखबिर था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जांच अधिकारी कई स्थितियों में आगे की जांच करने की अपनी वैधानिक शक्ति का प्रयोग कर सकता है, उदाहरण के लिए, जब उसके संज्ञान में नए तथ्य आए; जब मामले के कुछ पहलुओं पर उसके द्वारा विचार नहीं किया गया हो और उसने पाया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नई या आगे की सामग्री उसके संज्ञान में आई है, अलग कोण से आगे की जांच आवश्यक है। उपर्युक्त आधारों के अलावा, विद्वान मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय आगे की जांच का निर्देश दे सकते हैं, यदि जांच दूषित और/या अन्यथा अनुचित पाई जाती है या न्याय के लिए अन्यथा आवश्यक है।

27. वर्तमान मामले में, व्याख्याता के पद के लिए एक आवेदक ने धारा 173(8) के तहत आवेदन दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया कि जांच में गड़बड़ी या अन्यथा अनुचित पाया गया। आवेदक, मुखबिर नहीं होने के कारण, इस मुद्दे को विद्वान मजिस्ट्रेट या विद्वान विशेष न्यायाधीश के समक्ष नहीं उठा सकता, जिन्हें संज्ञान लेने का अधिकार है।

28. *सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निदेशक, सीबीआई एवं अन्य, (2014) 8 एससीसी 682* में भी इसी सिद्धांत का सहारा लिया गया है।

29. इस प्रकार, इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ता आरोप-पत्र को चुनौती देने और उस मामले की आगे की जांच की मांग करने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं है, जो आरोप-पत्र दाखिल करने के साथ समाप्त हो गया।

30. इसलिए, मुझे विद्वान विशेष न्यायाधीश, सतर्कता, पटना द्वारा पारित दिनांक 6 जुलाई, 2022 के आदेश में कोई अवैधता या भौतिक अनियमितता नहीं दिखती है।

31. इस स्तर पर, संवैधानिक न्यायालय के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत दर्ज कराने का कोई उपाय नहीं मिलेगा।

32. धारा 173 की उपधारा (8) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नए साक्ष्य प्राप्त होने पर पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी मामले की आगे जांच कर सकता है और कुछ ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल कर सकता है जिनके खिलाफ पहले आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया था।

33. याचिकाकर्ता की शिकायत है कि वी.आई.बी. ने उनके द्वारा इस रिट याचिका में दाखिल दस्तावेजों पर विचार नहीं किया।

34. इसलिए, यह न्यायालय इस तात्कालिक रिट याचिका का निपटारा करता है, तथा याचिकाकर्ता को इस तात्कालिक रिट याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों को जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति देता है और जांच अधिकारी इस बात

पर विचार करेगा कि उक्त दस्तावेज नए साक्ष्य प्रकट करते हैं या नहीं और यदि उक्त दस्तावेज नए साक्ष्य के बराबर हैं, तो जांच अधिकारी मामले की आगे की जांच करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि आरोप-पत्र में, जांच अधिकारी ने पहले ही नए साक्ष्य प्राप्त होने पर पूरक आरोप-पत्र दायर करने की स्वतंत्रता ले ली है।

35. उपर्युक्त अवलोकन/निर्देश के साथ, वर्तमान रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

36. चूंकि मामला काफी लम्बे समय से लंबित है, इसलिए विद्वान विशेष न्यायाधीश को निर्देश दिया जाता है कि वे मामले की सुनवाई पूरी करने और निपटाने के लिए उचित कदम उठाएं।

(बिबेक चौधरी, न्यायाधीश)

उत्तम/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।